संविधान दिवस (26 नवम्बर, 2022)

संख्या-5/2022/700/90-सं-2-2022

प्रेषक,

दुर्गा शंकर मिश्र
मुख्य सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1-समस्त मण्डलायुक्त/समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।
2-निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

संसदीय कार्य अनुभाग-2 **लखनऊ :दिनांक 14 नवम्बर, 2022**

विषय: संविधान दिवस 26 नवम्बर, 2022 के अवसर पर प्रदेश में विविध कार्यक्रम आयोजित किए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मंत्रिमण्डल सचिव, भारत सरकार के अ०शा०पत्र सं०-701/2/2/2022-सीए.वी दिनांक 07.11.2022 (छायाप्रति संलग्न) का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जो कि संविधान दिवस 26 नवम्बर, 2022 के अवसर पर प्रदेश में विविध कार्यक्रम आयोजित किए जाने के सम्बन्ध में है।

2- आप अवगत ही हैं कि भारत के संविधान को अंगीकृत किये जाने की तिथि 26 नवम्बर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। संविधान दिवस पर संविधान के मूल्यों एवं सिद्धान्तों का उल्लेख करते हुए विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम प्रति वर्ष आयोजित किये जाते हैं। समारोह का मुख्य कार्यक्रम संविधान के आदर्शों को बनाये रखने हेतु हमारी प्रतिबद्धता एवं संविधान की प्रस्तावना का पाठन किया जाना है। गत वर्षों की भांति इस वर्ष भी संविधान दिवस के अवसर पर राज्य सरकार के कार्यालयों, स्वायत्तशासी निकायों/संगठनों, स्थनीय निकायों एवं शैक्षणिक संस्थानों में दिनॉक 26 नवम्बर, 2022 को पूर्वान्ह् 11.00 बजे संविधान की प्रस्तावना का पाठन किये जाने हेतु अपने अधीनस्थों को निर्देशित करते हुए उसका अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

3- उक्त के अतिरिक्त संविधान दिवस के अवसर पर संविधान के संवैधानिक मूल्यों एवं मूलभूत सिद्धान्तों पर आधारित वाद-विवाद, वेबिनार, गोष्ठी आदि का भी आयोजन कराने का कष्ट करें।

4- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया मंत्रिमण्डल सचिव, भारत सरकार के संदर्भगत पत्र दिनॉक 07 नवम्बर, 2022 द्वारा किये गये अपेक्षानुसार संविधान दिवस के अवसर पर अग्रेतर आवश्यक कार्यवाही प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित कराने एवं संविधान दिवस के अवसर पर आयोजित समारोह/कार्यक्रम के फोटोग्राफ सहित भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जिनके द्वारा संविधान दिवस के कार्यक्रमों के सम्बन्ध में समन्वय का कार्य किया जा रहा है, को प्रेषित करते हुए उसकी प्रति शासन के संसदीय कार्य विभाग को भी उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,
दुर्गा शंकर मिश्र
मुख्य सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या-5/2022/700 (1)/90-सं-2-2022 तद्दिनांक

प्रतिलिपि संलग्नक की प्रति सहित निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. मंत्रिमण्डल सचिव, भारत सरकार को उनके पत्र दिनांक 07.11.2022 के क्रम में।
2. प्रमुख सचिव, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0 शासन।
3. निजी सचिव, मा0 मुख्य मंत्री जी।
4. निजी सचिव, मा0 संसदीय कार्य मंत्री, उत्तर प्रदेश।
5. मुख्य स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
6. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, सचिवालय प्रशासन विभाग, उ0प्र0 शासन (नोडल विभाग)।
7. गार्ड बुक।

आज्ञा से,

जे०पी० सिंह-।।

प्रमुख सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।